

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज0)

क्रमांक:- एसडीएम/ अभियान/2018/784

दिनांक:- 02/07/2018

:: आदेश ::

पु.सं 317/2018

प्रार्थी के "खाता दुरस्ती" बर्थना पत्र एवं तहसीलदार, डूंगरपुर की रिपोर्ट एवं अनुसंधान के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम वीरी पटवार मंडल लोणकपुर तहसील एवं जिला डूंगरपुर की जनाबंदी संवत् 2070-73 में खाता संख्या 50 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-

| क्र.सं | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|--------|-------|-------------|---|---|
| 1 | वीरी | 50 | शुजा रामजी महान मूखचन्द सतुजा काठवा राम महान्ता श. नानजी बुदी देवा नानजी व शजामा श. मूखवा देव जमफु वकती इल्ली श. मूखवा की कुरण देवा मूखवा मीणा सा. दे. वि. न. स्वानेपा | शुजा रामजी भगन मोहन सतुजा काठवा राम्पा नान्ता श. नानजी बुदी देवा नानजी वी शजीमा श. मूखवा देवा जमफु वकती इल्ली श. मूखवा की कुरण देवा मूखवा मीणा सा. दे. वि. न. स्वानेपा |

क्रमांक-सम/784

प्रतिलिपि-सूचना एवं फलमार्थ -

1- तहसीलदार, डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर नए रिपोर्ट भिजाने।

2- प्रार्थी श्री मोहन श. नानजी

3- पटवारी हल्का लोणकपुर

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर

दिनांक:- 02/07/2018

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर